

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
226/2024

दायर दिनांक
22.05.2024
उनवान

निर्णय दिनांक
11.06.2024

1. मंजू पत्नी सत्यनारायण जाति बिड़ला, आयु वयस्क निवासी माण्डल, तह0 माण्डल जिला भीलवाड़ा हाल निवासी सुजुकी कॉलोनी भीलवाड़ा राज0
2. रूक्मणी देवी पत्नी बालमुकुन्द जाति बिड़ला आयु वयस्क निवासी माण्डल तह0 माण्डल जिला भीलवाड़ा राज0 हाल निवासी सुजुकी कॉलोनी भीलवाड़ा राज0

प्रार्थीगण

बनाम

डाय़ा भाई पुत्र रामजी जाति पटेल, आयु वयस्क निवासी कुवाड़ा रोड़, सांगानेर कॉलोनी, भीलवाड़ा राज0

भारती बेन पत्नी स्व0 पुरुषोत्तम जाति पटेल, आयु वयस्क निवासी बी 103 सांगानेर कॉलोनी भीलवाड़ा राज0

प्रकाश भाई पुत्र स्व0 पुरुषोत्तम जाति पटेल, आयु वयस्क निवासी बी 103 सांगानेर कॉलोनी भीलवाड़ा राज0

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा राज0


—विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी हनुमान सिंह राणावत
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 03 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजा भीलवाड़ा प0ह0 भीलवाड़ा भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत 2075—2078 के खाता संख्या 148 की अभिलिखित आराजियात 973 कुल किता 1 कुल रकबा 0.2276 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और अप्रार्थीगण जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।



उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 03 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की प्रार्थना की गई। दायित्व वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में उक्त भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाड़ा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि राजा भीलवाड़ा प०ह० भीलवाड़ा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 के खाता संख्या 148 की अभिलिखित आराजियात 73 कुल किता 1 कुल रकबा 0.2276 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व रिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में पेशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करें, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाड़ा को तहरीर जारी करें।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में संपादित जावे। निर्णय आज दिनांक 11.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(आन्हाद निवृत्ति सोमनाथ)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा